30/3/26

पक्षा० पेश हुआ प्रार्थी वकील पक्षा०।
गवाही हेतु मौका चाहा गया अब मे
अनेक अवसर दिये जा चुके हैं। अन्य
अवसर दिया जाना उचित नहीं है।
अतः पक्षा० OPDS के गवाह इसी स्तर
पर खारिज किया जाता है। पक्षा०
फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर
हो।